न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 1/2025

राजस्थान सरकार जरिये जगदीश प्रसाद शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

1. श्री शाहीद खान पुत्र श्री शाह मोहम्मद खान
   निवासी दरगाह क्षेत्र, कमानी गेट, अजमेर दरगाह थाना, अजमेर
2. श्री रबीउल पुत्र श्री अब्दुल शाह
   निवासी मुस्ताफपुर, पूर्व मेदनीपुर पश्चिमी बंगाल 72144
   हाल निवासी रबीउलशाह/आरिफ चांदिया कुआ, लाखन कोटरी अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार

गीताजलि राठौड – अभिभाषक अप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक 23.07.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.12.2025 को जगदीश प्रसाद शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, राहुल कुमार वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक जांच दल द्वारा श्री शाहीद खान पुत्र श्री शाह मोहम्मद खान, निवासी दरगाह क्षेत्र कमानी गेट, अजमेर की दुकान पर पहुंचे। यहॉ मौके पर फुटपाथ पर चिकन टिक्का सी कवाब बनाते हुए अवैध रूप से घरेलू सिलेण्डर का उपयोग करते पाया गया । सिलेण्डर को सफेद प्लास्टिक के कट्टे से ढक रखा था, जिसे कब्जेराज लिया गया । मौके पर दुकान पर काम कर रहे कार्मिक रबीउल शाह ने दुकान मालिक का नाम शाहीद खान निवासी, अजमेर बताया । मौके पर पुलिस थाना दरगाह अजमेर के थानाधिकारी की टीम साथ रही। मौके फर्द एवं जब्ती तैयार उपस्थित मौतबिरान के समक्ष पढा सुना समझा और समझ में आने पर सहमति से हस्ताक्षर कराये। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरुपयोग कर एल.पी.जी आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1)(सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर को राज हित में जब्त किया गया ।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	4567025	Un Sealed Indaim	15.8	28.0	12.4

सिलेण्डर श्री राजेश कुमार पुत्र हरिपाल जाति मीना, कान्स्टेबल 3173 हाल थाना दरगाह, अजमेर निवासी ग्राम सताना तहसील विराट नगर, जयपुर को आगामी आदेश तक सुरक्षित

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

रखने हेतु सुर्पुदगी में दिए गए । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर 12.4 किग्रा एलपीजी को राजसात करने के आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब प्रस्तुत किया गया । उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया ।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 20.12.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 12.4 किग्रा एल.पी.जी को राजसात फरमावें।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आरोपीगण को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की जानकारी नहीं थी जिससे आरोपीगण द्वारा कामर्शियल सिलेंण्डर के खत्म हो जाने के बाद आपात स्थिति में घरेलु सिलेण्डर का उपयोग में लिया गया। अतः आरोपीगण को क्षमा कर जब्त सिलेण्डर वापस दिये जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 20.12.2024 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 12.4 कि.ग्राम एल.पी.जी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर